# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या– 526/2012/चुरू**

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चुरू।

.....अपीलार्थी

बनाम

रूपचन्द छगनलाल,
सरदारशहर, चुरू।

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ कैम्प जयपुर**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 27.04.2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 232/आरवैट/चुरू/10–11 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चुरू (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 66,193/– को प्रतिपेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म पेट्रोल, डीजल का व्यवसाय करती है। सशक्त अधिकारी द्वारा फर्म का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 को किया गया, जिसमें कर राशि रूपये 51,235/– तथा ब्याज राशि रूपये 14,958/– का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.08.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.08.2011 द्वारा प्रकरण पुनः सशक्त अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित

लगातार.....2

कर दिया। जिसकी पालना सशक्त अधिकारी द्वारा की जानी है। उक्त अपील में कर बोर्ड के समक्ष कोई भी बिन्दु निर्णय हेतु अपेक्षित नहीं है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

3. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( खेमराज )
अध्यक्ष